उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या- 51/2018/406//22-4-18-107(ब)/12टीसी
लखनऊ : दिनांक- 29 मार्च, 2018

शुद्धि पत्र

प्रदेश की 20 कारागारों में सीसीटीवी सर्विलांस इकाईयों की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि का अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-45/2018/368/22-4-18-107(ब)/12टीसी, दिनांक 28.03.2018 में उल्लिखित कार्यदायी संस्था श्रीटॉन पावरट्रानिक्स लि0 के स्थान पर श्रीटॉन इण्डिया लिमिटेड पढ़ा जाय।

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

संख्या-51/2018 /406(1)/22-4-18-तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, श्रीटॉन इण्डिया लिमिटेड, अपट्रान बिल्डिंग, नियर गोमती बैराज, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in